

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम (राज.)

क्रमांक :- स्टोर/2025-26/ 3412

दिनांक :- 30/7/25

बोली आमंत्रण सूचना 2025-26

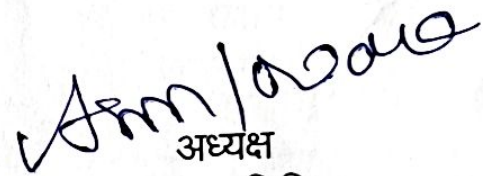
जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ एवं विशेष न्यायाधीशों के न्यायालयों में लगे प्रिन्टर्स की कार्ट्रिज (ऑरिजिनल) क्रय किये जाने हेतु अधिकृत डीलर्स/निर्माताओं आदि से निम्नानुसार मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं-

क. स.	निविदा का नाम	अनुमानित राशि रु.	अमानता राशि रु.	निविदा फार्म शुल्क राशि रु.	बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
(1)	प्रिन्टर कार्ट्रिज क्रय वर्ष 2025-26	5,76,000/-	11,520/-	500/-	06.08.2025 03.00 PM	06.08.2025 04.30 PM

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in व <https://jaipurmetro1.dcourts.gov.in> पर तथा इस कार्यालय के स्टोर शाखा में देखी जा सकती है।

NIB - MET2526A0006

UBN - MET2526G50B00006


अध्यक्ष

क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर महानगर-प्रथम

Vsm/00ale

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

दर संविदा हेतु – तकनीकी निविदा प्रारूप (पृथक लिफाफे में)

निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- (वापसी योग्य नहीं)

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रिंटर कार्ट्रिज क्रय वर्ष 2025-26
1.	अनुमानित राशि	रूपये 5.76 लाख
2.	अमानता राशि	11,520/- अक्षरे (दस हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र)
3.	निविदा प्रपत्र बेचने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 06.08.2025 दोपहर 1.00 बजे तक
4.	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 06.08.2025 दोपहर 3.00 बजे तक
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.08.2025 शाम 4.30 बजे
6.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता मय मोबाईल नं०	
7.	किसको संबोधित किया गया है	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम
8.	निविदा शुल्क की राशि	500/-
9.	नकद रसीद सं० व दिनांक/ डीडी नं. व दिनांक	
10.	अमानता राशि/बैंकर्स चैक/डीडी क्रमांक व दिनांक बैंक मय शाखा का नाम व राशि	
11.	पेन कार्ड नं० प्रति	
12.	एस एस आई यूनिट रजिस्ट्रेशन प्रति यदि हो	
13.	रूपये 50/-के नॉन ज्यूडिशियल के स्टाम्प पर घोषणा संलग्न प्रारूप-ANNEXURE (A)	
14.	आईएसओ/ सर्टिफिकेट का विवरण, यदि कोई हो तो।	
15.	जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर सर्टिफिकेट प्रति	
16.	गत दो वर्ष (2023-24, 2024-25) का प्रति वित्तीय वर्ष वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम राशि रु० दस लाख होने के प्रमाण के रूप में सी.ए. सर्टिफिकेट आदि की प्रति	
17.	राजकीय कार्यालय में आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र गत दो वर्ष का एवं संतोषप्रद आपूर्ति का प्रमाण पत्र	
18.	संबंधित कम्पनी के अधिकृत डीलर/ निर्माता होने का प्रमाण-पत्र की प्रति	
19.	सम्बन्धित कंपनी से इस निविदा हेतु अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	

निविदादाता हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

दर संविदा हेतु – तकनीकी निविदा प्रारूप

Am/00000

1. प्रस्तुत तकनीकी सामग्री का विवरण :-

S.No.	DESCRIPTION OF PRINTERS	CARTRIDGE NAME (OEM)	सामग्री उपलब्ध/अनुपलब्ध (यदि प्रदाता उक्त सामग्री का निर्माता/अधिकृत डीलर हो तो संबंधित सामग्री के सामने उपलब्ध अंकित करें अन्यथा अनुपलब्ध अंकित करें)
1	CANON LBP 151DW	CANON 337(OEM)	
2	KYOCERA --2235DN	KYOCERA – TK-1158(OEM)	
3	HP 1136A	HP 88A(OEM)	
4	HP 1566	HP 78A(OEM)	
5	HP 208 DW	HP 137X(OEM)	
6	HP Laserjet Tank MFP 2606 SDW	HP 158X(OEM)	
7	HP Laserjet Pro 4004 DW	HP 152A(OEM)	
8	CANON Image Class MF 465 DW	CANON 070(OEM)	

निविदादाता हस्ताक्षर मय सील

Vijay Kumar

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

दर संविदा हेतु – वित्तीय निविदा प्रारूप (पृथक लिफाफे में)

S.No.	DESCRIPTION OF PRINTERS CARTRIDGE	Cartridge Name	दर रुपये में (समस्त कर व प्रभार सहित)
1	CANON LBP 151DW	CANON 337(OEM)	
2	KYOCERA --2235DN	KYOCERA – TK-1158(OEM)	
3	HP 1136A	HP 88A(OEM)	
4	HP 1566	HP 78A(OEM)	
5	HP 208 DW	HP 137X(OEM)	
6	HP Laserjet Tank MFP 2606 SDW	HP 158X(OEM)	
7	HP Laserjet Pro 4004 DW	HP 152A(OEM)	
8	CANON Image Class MF 465 DW	CANON 070(OEM)	

निविदादाता हस्ताक्षर मय सील

Vm/maale

:- कार्ट्रिज क्रय के लिए दर संविदा हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें :-

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "अधिनियम" व "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" व "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" व "नियम" के प्रावधान ही अधिभावी होंगे।
2. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय में अथवा ऑनलाइन देखी जा सकती हैं। ऑनलाइन निविदा प्रिन्ट लेकर भरने की स्थिति में निविदा शुल्क राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा।
3. निविदाएं पूर्ण रूप से भरी जाकर सीलबंद लिफाफे में भेजी जानी है। लिफाफे पर कम्प्यूटर प्रिन्टर कार्ट्रिज आदि के लिए निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
4. निविदा के तहत तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग-2 लिफाफों में प्रस्तुत की जायेगी तकनीकी बिड में योग्य पाई गयी फर्मो/निविदाकारों के ही वित्तीय बिड खोले जायेगे। एक ही लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खुली रखी हुयी होने की स्थिति में निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी. जो कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर-प्रथम के नाम से देय हो के रूप में अमानत राशि हेतु निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. चैक या अन्य प्रकार से अमानत राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना अमानत राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। एस एस आई यूनिटो/रूग्ण ईकाईयो को नियमानुसार निर्धारित सीमा तक छूट देय होगी। अमानत राशि निविदा के अनुसार ही प्रस्तुत करनी है।
7. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. यह दर संविदा मात्र दर हेतु उपापन की विषयवस्तु की मात्रा स्थान और समय के लिए ही प्रतिबद्धता के बिना की जा रही है।
9. यदि निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापस लेता है या विहित करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद या आदेशित सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि अथवा निविदा शुल्क के बिना या कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार क्रय समिति के पास होगा।
11. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजियन एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
12. निविदादाताओं को निर्माता/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
13. सफल निविदादाता को दर अनुमोदन पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्धारित राशि 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
14. संबंधित सफल फर्म को सामग्री की आपूर्ति कार्यालय आदेश प्राप्ति पर 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी। निविदा में वर्णित दरों के संबंध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी।
15. यदि क्रेता अधिकारी निविदत्त सामग्री की खरीद नहीं करता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
16. कार्ट्रिज क्रय हेतु दर संविदा की दरें अधिकृत डीलर्स/निर्माताओं द्वारा ही प्रस्तुत की जावेंगी।

- Vm/000000*
17. निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जाये, दरों पर कांट छांट अथवा ओवर राईटिंग न हो तथा दरें साफ स्याही से शब्दों में एवं अंकों में अंकित की जाये तथा शून्य, ऋणात्मक व पैसों में अंकित नहीं की जावे एवं निविदादाता द्वारा प्रत्येक त्रुटि (यदि कोई हो) पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायें।
 18. सशर्त निविदा दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
 19. निविदा दरों में समस्त चुंगी किराया-भाड़ा या अन्य कोई राशि जो भुगतान योग्य है, को जोड़कर एफ ओ आर दरें स्टोर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय की दी जायेगी।
 20. सफल निविदादाता/दाताओं को सप्लाई आदेश की राशि का 5% RTPP ACT/ नियमानुसार प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी, जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जा सकेगा। एस एस आई ईकाइयों/रूग्ण ईकाइयों को नियमानुसार सीमा तक छूट देय होगी।
 21. सफल निविदादाता फर्म/फर्मों को नियमानुसार एक अनुबन्ध पत्र का निष्पादन स्वयं के खर्च पर संपादित करना होगा।
 22. फर्म को संबंधित न्यायालय द्वारा जारी सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण माल सप्लाई करना होगा। विलम्ब के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 23. दरों पर यदि किसी प्रकार का कर/प्रभार हो तो उसका उल्लेख किया जावेगा। बिना उल्लेख किये प्रस्तुत दरें समस्त कर/प्रभार सहित मानी जावेगी।
 24. माल की आपूर्ति संबंधित न्यायालयों के कार्यालय में क्रय आदेश के निर्देशानुसार एफ ओ आर की जायेगी, जिसका अलग से कोई भाड़ा लोडिंग-अनलोडिंग, पैकिंग आदि का चार्ज देय नहीं होगा।
 25. अनुमोदित दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक मान्य होगी।
 26. दरें स्वीकार नहीं होने पर अमानत राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
 27. आपूर्ति जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय एवं उसके अधीनस्थ न्यायालय से आदेश के तहत प्राप्त सामान सही एवं निविदा मापदण्डों के अनुसार होने पर फर्म को भुगतान संबंधित न्यायालय से कर दिया जावेगा।
 28. आपूर्ति की जा रही सामग्री निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी सामग्री को आपूर्तिकर्ता की जोखिम पर रद्द कर दिया जायेगा, जिसे आपूर्तिकर्ता अपने खर्च पर बदल कर आपूर्ति करेगा एवं रद्द की गई सामग्री वापस प्राप्त करेगा।
 29. वारण्टी अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। आपूर्ति किये गये सामान में वारण्टी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाये जाने पर फर्म का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
 30. निविदा प्रपत्र में दी गई सामग्री की मात्रा के स्थान पर वास्तविक आपूर्ति हेतु आदेश नियमानुसार सीमा तक कम या अधिक या शून्य भी हो सकता है।
 31. उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं अधिनियम 2012, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार मान्य होगी।
 32. आपूर्तिकर्ता फर्म के सप्लाई किए जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
 33. कोई भी विवाद होने की स्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर-प्रथम का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
 34. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र में शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
 35. गत दो वर्षों का औसत टर्न ओवर 10 लाख रू0 प्रति वर्ष से अधिक होना चाहिए।
 36. तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जावेगा।
 37. निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जाये, दरों पर कांट छांट अथवा ओवर राईटिंग न हो तथा दरें साफ स्याही से शब्दों में एवं अंकों में अंकित की जाये एवं निविदादाता द्वारा प्रत्येक त्रुटि (यदि कोई हो) पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायें।

Vm/Naue

38. सफल निविदादाता/दाताओं को सप्लाई आदेश की 5% राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी, जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जा सकेगा। एस एस आई ईकाइयों/रुग्ण ईकाइयों को नियमानुसार सीमा तक छूट देय होगी।
39. आपूर्तिकर्ता फर्म अधिनियम के तहत पंजीकृत फर्म होनी चाहिए एवं वैट/जीएसटी आदि के नवीनतम क्लियरेंस प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से जारी संलग्न होने चाहिए।
40. यह दर संविदा मात्र दर हेतु उपापन की विषयवस्तु की मात्रा स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना की जा रही है।
41. विभिन्न मेक/ब्राण्ड के कम्प्यूटर कार्टिज की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कम्प्यूटर कार्टिज के किसी आईटम की संख्या में नियमानुसार वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।
42. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कम्प्यूटर कार्टिज उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कम कोटकर्ता करता है तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर कार्टिज की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
43. बोली की विधि मान्यता तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
44. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
45. मूल्यांकन की कसौटी— तकनीकी बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की आईटमवाईज न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
46. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-
- बोली आमंत्रण में अंकित आईटम्स/वस्तु की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
 - सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
 - कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
47. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
- जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढांग से कार्य करने में असफल रहा हो।
 - जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरंभ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
48. भुगतान :- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
49. दरें :-
- i. बोली में दरे शब्दों एवं अंको दोनों रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
 - ii. यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।
 - iii. बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
 - iv. सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

mm/10000

- v. सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- vi. बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसेके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- vii. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण आइटमवार प्रस्तुत न्यूनतम दरों के आधार पर किया जावेगा। न्यूनतम दरदाता न्यूनतम दरों के आधार पर एक या अधिक भी हो सकते हैं।
50. स्पेशिफिकेशन :-
- i. यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती हैं, तो अस्वीकृत माल के बदले में निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले में निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
51. निरीक्षण एवं परीक्षण :-
- i. सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जा सकेगी कि वे निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जा सकेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेशिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
52. माल की सप्लाई :-
- i. बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुसान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
53. सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period) :- जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।
54. दर अनुबंध अवधि कार्यादेश जारी किये जाने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा। उक्त दर संविदा निर्धारित अवधि में अंकित किये गये आइटमस हेतु की जानी है। बोली दस्तावेज में अंकित की गई मात्रा संभावित है। यह दर संविदा उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी। अतः तदनुसार एक से अधिक न्यूनतम दरदाताओं का निर्धारण किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Am/Prave
Annexure-'A'

घोषणा पत्र

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम के लिये खुली निविदा आमंत्रित सूचना की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु अधिकृत है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित सामग्री उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट, डिफाल्टर या अयोग्य नहीं किया गया है। दी गई दरें क्रेता अधिकारी के कार्यालय तक पहुँचाने की है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिड रद्द किया जा सकेगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन वस्तुएँ/स्टोर्स/उपकरणों के लिये निविदा की है, उनका/उनके में/हम बोनाफाईड विनिर्माता/ प्राधिकृत डीलर/ हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि मुझ/हम पर की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपृहत कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक :-

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर सील
निविदादाता का नाम :-.....

पूर्ण पता :-

मो./टेलीफोन नं.

Vam Joshi

Annexure-'02'

DISTRICT & SESSION COURT, JAIPUR METRO- I

Tender for Rate Contract for the Supply of Cartridge Items

NIT No. -----/-- ----/2025-26/

Dated:

आपूर्ति / कार्यानुभव का विवरण

क. सं.	विभाग / संस्थान का नाम	राजकीय / अर्द्धराजकीय / प्राइवेट	कार्यादेश क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश की राशि

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील